




श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर, म०प्र०

८४७८ -५१- I-६

२० अप्रैल कुर्मांक

सन्

११५६
अप्रैल
२७/१/१६



वेत्रीबाई पति चंद्रिकाप्रसाद पटेल

निवासी ग्राम गढ़चपा, तहसिलीरा

जिला जबलपुर।

--- अपीलाधीं

विरुद्ध

चंद्रिकाप्रसाद पिता जुराज पटेल

सापिल गढ़चपा, तहसिलीरा, जिला जबलपुर

-----प्रत्याधीं

अपील बंतति धारा ४४ म०प्रभ०राजस्विता

अपीलाधीं की ओर से निम्न विनय पेश है :-

(१) माननीय अतिरिक्त जायुक्त जबलपुर संभाग की न्यायालय द्वारा पारित अपील प्रकरण कुर्मांक २४२/ स४६/ ६८-६६ में पारित जादैश कुर्मांक ३-१२-१५ से व्याधित होकर यह अपील पेश की जा रही है।

अपील समयावधि की भीतर है।

संक्षिप्त तथ्य

दावा की संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि बादग्रहत जमीन ग्राम लखनपुर की है। उपरीक्त जमीन की खसरा नंबर ५१६, ११, १७८, ३०७ है जिसका मालिक उत्तरवादी प्रत्याधीं था, दौनीं के संबंध बिगड़ गये अपीलाधीं ने परवरिश हेतु निवेदन किया जिस पर से पंचायत बुलाई गई, पंचायत के अनुसार एक व्यवस्था लिखी गई जो इकरानामा की रूप में लिखी गयी है। नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी उस प्रकरण में चंद्रिकाप्रसाद हाजिर था, बाद को पैशियाँ पर हाजिर नहीं हुआ। अपीलाधीं ने एक व्यवहार बाद प्रस्तुत किया, बादी का नाम खल्क राजस्व स्कार्ड में ही गया। जानकारी ३-६-६४ की ही गयी थी। अपील ५-१०-६४ की पेश की गयी थी। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील सारिज की गई निम्न कारणों से यह अपील पेश की जा रही है।

५४८

--२--

KX

A-421 #16 (ग्रन्थ)

29.12.16

कृष्ण नारायण
दीप्तिमुख को
माला ५०
रु. ३०
श्री वारंदेश
५० रु. १००
कृष्ण नारायण
दीप्तिमुख को
माला ५०
रु. ३०
श्री वारंदेश
५० रु. १००
कृष्ण नारायण
दीप्तिमुख को
माला ५०
रु. ३०
श्री वारंदेश
५० रु. १००

स्थान तथा दिनांक

प्राची से उत्तराखण्ड अवैज्ञानिक विज्ञान की
निवाट शुभित द्वारा

(Signature)
लक्ष्मण

R. P. L.